



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 136]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 28 मई 2025—ज्येष्ठ 7, शक 1947

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 मई 2025

क्र.-284-2754115-2025-इक्सठ-लो.से.प्र.-पी.एस.जी.-12.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएं, पदाधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी के पदनाम, प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निमानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की सेवाएं—

सेवा क्र.	सेवाएं (1)	पदाधिकारी का पदनाम (3)	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय- सीमा (4)	प्रथम अपील के निराकरण की गई समय-सीमा (5)	प्रथम अपील की निश्चित समय-सीमा (6)	द्वितीय अपील पदनाम (7)
12.13	गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम एवं नियम अंतर्गत केन्द्रों के नवीन पंजीयन.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.	30 कार्य दिवस	जिला कलेक्टर	15 कार्य दिवस	आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.14	सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम अंतर्गत केन्द्रों के नवीन पंजीयन.	जिला कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष, जिला सक्षम एस्सिटेड रिप्रोडक्टिव टेक्नालॉजी एवं सरोगसी प्राधिकारी.	45 कार्य दिवस	संभागीय आयुक्त	30 कार्य दिवस	आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा.
12.15	सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम अंतर्गत केन्द्रों के पंजीयन का नवीनीकरण.	जिला कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष, जिला सक्षम एस्सिटेड रिप्रोडक्टिव टेक्नालॉजी एवं सरोगसी प्राधिकारी.	30 कार्य दिवस	संभागीय आयुक्त	30 कार्य दिवस	आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा.
12.16	सरोगसी (विनियमन) अधिनियम अंतर्गत केन्द्रों का नवीन पंजीकरण.	जिला कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष, जिला सक्षम एस्सिटेड रिप्रोडक्टिव टेक्नालॉजी एवं सरोगसी प्राधिकारी.	45 कार्य दिवस	संभागीय आयुक्त	30 कार्य दिवस	आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा.
12.17	सरोगसी (विनियमन) अधिनियम अंतर्गत केन्द्रों के पंजीयन का नवीनीकरण.	जिला कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष, जिला सक्षम एस्सिटेड रिप्रोडक्टिव टेक्नालॉजी एवं सरोगसी प्राधिकारी.	30 कार्य दिवस	संभागीय आयुक्त	30 कार्य दिवस	आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश शर्मा, अपर सचिव.